अपील सूचना अधिकार संख्या 01/2019 (RCMS 2019/00003) श्री राजेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री फतेह सिंह भाटी निवासी भवानी निकेतन, पूर्वा गेस्ट हाउस के पास, सरदारशहर, जिला चुरू, राजस्थान बनाम अति. जिला कलक्टर (शहर), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.11.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राजेन्द्र सिंह भाटी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर(शहर), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राजेन्द्र सिंह भाटी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2018 के द्वारा अति. जिला कलक्टर (शहर), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

1. माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा पेट्रोल पम्प मैसर्स मदनलाल भाटिया एण्ड सन्स जिसकी भूमि लीज हेमराज भाटिया एण्ड सन्स के नाम से है, जो वर्तमान में मैसर्स मदनलाल भाटिया एण्ड सन्स के नाम से संचालित है, को वर्ष 2013 को आवंटित एवं निरस्तर लीज विलेख राशि जमा हो जाने के उपरान्त भी अनावश्यक परेशन करने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्रांक--मु.म.--विशेषाधिकारी(आरसी)/प--2स्था.न.जय/18/11436 दिनांक 08.03.2018 (प्रति संलग्न है) पर आज दिनांक तक संस्थित की गई कार्यवाही व इस संबंध में दिनांक 13.10.2018, 05.10.2018, 26.02.2018, 04.04.2018 को लीजधारी के द्वारा प्रेषित

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रों पर आज दिनांक् तक संस्थित की गई कार्यवाही मय संधारित नोटशीट की प्रमाणित प्रतियां (दो प्रमाणित प्रतियों में), यदि कार्यवाही नहीं की गयी तो किन नियमों के तहत उन नियमों की प्रमाणित प्रतियाँ(दो प्रतियों में)

2. स्वायत शासन विभाग का पत्रांक– भूमि/एफ7(ड)( )डीएलबी/2018/1083 दिनांक 22.03.2018 पर की गयी कार्यवाही व निर्माण करते समय आवेदन के कितने समय बाद निर्माण स्वीकृति स्वतः मानी जाती है, इसके लिए बने नियम, तथ्य व वर्तमान समय में नगर परिषद्, श्रीगंगानगर निर्माण शाखा के द्वारा इस संबंध में की जा रही कार्यवाही व कार्यवाही का आधार व संबंधित लीज धारक को दिये गये नोटिस व लीज कब–कब नवीनीकृत की गयी तथा किन–किन शर्तों पन नवीनीकृत की गयी का सम्पूर्ण विवरण (दो प्रमाणित प्रतियों में)

3. उक्त पत्रावली नगर परिषद श्रीगंगानगर के यहां से गायब हुई तो कब हुई व इसके लिए लीज धारक के द्वारा आपको प्रेषित पत्राचार की प्रतियाँ व उन पर संस्थित की गयी कार्यवाही मय पंजीबद्ध करवाई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिया (दो प्रमाणित प्रतियों में)।

कृपया वांछित सूचनाएं जिस रूप में चाही गयी है उसी रूप में धारा 7(9) का अनुसरण करते हुए अविलम्ब उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं लोक प्राधिकरण कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर (अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर) ने अपने पत्रांक 82–83 दिनांक 16.01.2019 से निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार 2005 के तहत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 761 दिनांक 22.11.2018 को आपको भिजवाया गया था। प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार आवेदक को सूचना के अधिकार के तहत चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण आवेदक द्वारा जिला कलक्टर महोदय के न्यायालय में सन्दर्भित अपील प्रस्तुत की गई है। जिसमें आगामी तारीख पेशी 22.1.2019 निश्चित है। जिला कलक्टर महोदय के न्यायालय से प्राप्त प्रथम अपील मूल ही इस पत्र के संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। नियत पेशी पर संबंधित कार्मिक के साथ अपीलोत्तर जवाब एवं दस्तावेज सहित न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर इस कार्यालय को अवगत करायें। नियत पेशी पर यदि आप उपस्थित नहीं होते है तो संबंधित आगामी कार्यवाही के लिए आप स्वयं उतरदायी होगें।

-sd-
राज्य लोक सूचना अधिकारी
लोक प्राधिकरण कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

राज्य लोक सूचना अधिकारी, लोक प्राधिकरण कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र एवं प्रथम अपील आयुक्त, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित होने के कारण उन्हें प्रेषित किया जा चुका है इसलिए राज्य लोक सूचना अधिकारी, लोक प्राधिकारण कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के विरूद्ध अपील खारिज किये जाने योग्य है।

चूंकि राज्य लोक सूचना अधिकारी के अनुसार प्रार्थी की सूचनाओं का सम्बन्ध आयुक्त, नगर परिषद्, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नगरपरिषद् द्वारा

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है एवं अपीलार्थी नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर के विरूद्ध सक्षम अथोरिटी के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के अनुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की राज्य लोक सूचना अधिकारी लोक प्राधिकरण कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर